(वाद संख्या–7436/17)

13.08.2019

परिवादी, अरूण कुमार दिवाकर, पुत्र स्व0 अम्बिका प्रसाद यादव उपस्थित है।

परिवादी को सुना तथा परिवादी के परिवाद–पत्र पर पुलिस अधीक्षक, नवादा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

परिवादी का कथन है कि वर्ष, 2006 में ग्राम–मननियांतरी, थाना–कौआकोल के तथाकथित कुख्यात अपराधियों (1) विष्णुदेव यादव (2) मुद्रिका यादव (3) मनोज यादव, तीनों पुत्र, स्व0 विशेश्वर यादव (4) रंजन यादव (5) सुभाष यादव, दोनों पुत्र, स्व0 विष्णुदेव यादव द्वारा मिलकर उसके चचेरा भाई, जितेन्द्र यादव और फुआ–सकली देवी की हत्या कर दी गयी तथा उसके 90वर्षीय दादी, सीतबिआ देवी को जख्मी कर दिया गया, जिसके संबंध में परिवादी के लिखित प्रतिवेदन पर कौआकोल थाना कांड सं0–26/2006 संस्थित किया गया। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार पुलिस द्वारा इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्तों को ''फरार'' दर्शाते हुए उनके विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित कर दिया गया है तथा मामला अभी न्यायालय में लंबित है।

2. कौआकोल थाना कांड सं0–26/2006 के एक साक्षी, तरूण यादव (परिवादी के ज्येष्ठ भ्राता), की कौआकोल थाना कांड सं0–26–2016 के अभियुक्तों द्वारा दिनांक–1.10.2007 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी, जबकि परिवादी के पिता, अम्बिका प्रसाद यादव को जख्मी कर दिया गया। उक्त के संबंध में परिवादी के पिता के फर्द बयान पर कौआकोल थाना कांड सं0– 79/2007 संस्थित किया गया। लेकिन पुलिस अधीक्षक, नवादा द्वारा आयोग को समर्पित अपने प्रतिवेदन में कौआकोल थाना कांड सं0–79/2007 के अद्यतन स्थिति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. तत्पश्चात् कौआकोल थाना कांड सं0–26/2006 के अभियुक्तों द्वारा दिनांक–18.05.2017 को परिवादी के पिता, अम्बिका प्रसाद यादव, जो एक सरकारी कर्मचारी थे तथा कौआकोल थाना कांड सं0–79/2007 के सूचक भी थे, की हत्या, जमुई जिलान्तर्गत चन्द्रदीप थाना के राजस्व कचहरी में गोली मारकर कर दी गयी, जिसके संबंध में परिवादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर चन्द्रदीप थाना कांड सं0–43/2017 संस्थित किया गया।

4. परिवादी का कथन है कि उपरोक्त तीनों अपराधिक कांडों के अभियुक्तगण वर्तमान में फरार है तथा परिवादी तथा उसके परिवार को अभी भी उनसे जान का खतरा है तथा उनके भय से वह अपना दैनिक कार्य, कृषि कार्य आदि नहीं कर पा रहे हैं।

5. परिवादी का यह भी कथन है कि उपरोक्त आपराधिक कांडों के अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये

जाने को लेकर उसकी ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक CWJC. N0. 2075/2018 भी दाखिल की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, नवादा को अपना प्रति–शपथ–पत्र दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया है।

6. परिवादी का आगे कथन है कि उपरोक्त से रूष्ट व क्षुब्ध होकर पुलिस द्वारा परिवादी के भाई, वरूण कुमार, को जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा गांव के एक राजकुमार यादव की हत्या से संबंधित कौआकोल थाना कांड सं0– 148/2019 में अनावश्यक रूप से फंसा दिया गया है तथा पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर पुलिस अधीक्षक, नवादा से दिनांक 12.12.2019 के पूर्व आज पारित आदेश में उल्लेखित बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की जाय साथ ही साथ उन्हें यह भी निर्देशित किया जाय कि परिवादी तथा उसके परिवार की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जमुई से चन्द्रदीप थाना कांड संख्या 43/2017 की अद्यतन स्थिति के संबंध में दिनांक–12.12.2019 के पूर्व प्रतिवेदन की मांग की जाय।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि को परिवादी की उपस्थिति हेतु अलग से नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

परिवादी उक्त तिथि को उपस्थित रहेंगे।

संचिका दिनांक–12.12.2019 को उपस्थापित किया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**

**कार्यकारी अध्यक्ष**

सहायक निबंधक